बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–01/विकास–16306/2024– 915 ई0 का0 पटना, दिनांक– 05 सितम्बर, 2024

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा0प्र0से0
ईखायुक्त, बिहार।

सेवा में,

प्रबंधक/कार्यपालक अध्यक्ष/दखलकार,
राज्य की कार्यरत सभी चीनी मिल (प्रतापपुर सहित)।

विषयः– **चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्रों में गैर अनुशंसित गन्ना प्रभेदों की खेती के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि राज्य के चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्रों में गन्ना के ऐसे प्रभेदों की खेती की जा रही है, जो बिहार के लिए न तो अनुशंसित है और न ही इन प्रभेदों को ISMA ट्रायल के आधार पर किसी गन्ना अनुसंधान संस्थान द्वारा खेती हेतु अनुशंसित किया गया है। बिहार ईख अधिनियम–1981 की धारा–37 में इस तरह के गन्ना प्रभेदों की खेती किया जाना नियम के प्रतिकूल है। ऐसे प्रभेदों से कभी भी महामारी के रूप में बीमारी एवं कीट व्याधि का प्रसार होगा, जिसके कारण गन्ना फसलों का वृहद रूप से क्षति होगी। ऐसी स्थिति में संबंधित चीनी मिल पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगें तथा उन्हें क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने हेतु बाध्य होगें। चीनी मिलों द्वारा राज्य के बाहर से गन्ना के गैर अनुशंसित प्रभेदों को लाकर अवैध रूप से उसकी खेती की जाती है तथा उक्त प्रभेदों का प्रसार किया जाता है, जो पूर्णतया अवैध है।

अतः निदेशित किया जाता है कि इस प्रकार के गन्ना प्रभेदों की खेती प्रतिबंधित किया जाय तथा अगर आपके आरक्षित क्षेत्रों में किसानों द्वारा गैर अनुशंसित प्रभेदों की खेती की जा रही है तो इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को शीघ्र दी जाय ताकि उनपर नियमानुसार कार्रवाई किया जा सके।

विश्वासभाजन

5/9/2024

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या– 915 ई0 का0 पटना, दिनांक– 5 सितम्बर, 2024

प्रतिलिपि– सभी उप निदेशक, ईख विकास/सहायक निदेशक, ईख विकास/ईख पदाधिकारी/विशेष ईख पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/9/2024

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या– 915 ई0 का0 पटना, दिनांक– 5 सितम्बर, 2024

प्रतिलिपि– ईखायुक्त के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

5/9/24

ईखायुक्त, बिहार।